

फर्द अहकाम



राजेश चौधरी

बनाम

कमली देवी वर्ग 0

का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

80/2024

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.2024	<p>अधिवक्ता श्री दिनेश चौधरी द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि0 एडी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
11/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>23/8/24</u> को पेश हो।</p>	
23/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित वादी एवं वादी अधिवक्ता को रक-रक कर बार-बार आवानें लगाते गत समय 5.45 PM हो चुका है। कोर्ट उपस्थित नहीं आया है।</p> <p>अतः वादी उ वाद वादी एवं वादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण आज्ञा जारी अडम पैरवी में खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कर होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	